फ़ा. सं- ई-22012-1/हिन्दी पखवाड़ा/रा.भा./2020
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
राजभाषा अनुभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

दिनांक- 7 सितंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय- डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में माह सितंबर, 2020 के दौरान हिन्दी दिवस/ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा मनाये जाने के संबंध में।

सरकारी कामकाज़ में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के प्रयोजन से केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में प्रति वर्ष हिन्दी दिवस/ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग के नियमों के तहत भी प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों जैसे डाक सर्कल कार्यालयों, डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद, डाक प्रशिक्षण केन्द्रों, सी ई पी टी, मैसूर आदि कार्यालयों में हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रमुख दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैं-

1. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालय हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा माह सितंबर, 2020 के दौरान आयोजित करेंगे। अधीनस्थ डाक कार्यालय हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन अपनी सुविधानुसार कर सकतें हैं।

2. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों को हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन इस प्रकार करना होगा कि उसमे 14 सितंबर, 2020 की तारीख अवश्य शामिल हो। 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माननीय गृह मंत्री, सचिव (राजभाषा), सचिव (डाक) महोदय आदि के हिन्दी दिवस से जुड़े संदेशों को पढ़ा जाता है और सभी कार्मिकों के द्वारा हिन्दी में काम करने की शपथ ली जाती है।

3. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों को अपनी सुविधानुसार हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा जिसमे सभी कार्मिकों का भाग लेना आवश्यक है।

4. इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी काव्य-पाठ प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (मंगल फोंट में) आदि को अपनी सुविधानुसार शामिल किया जा सकता है।

5. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे इन प्रतियोगिताओं में राजभाषा विभाग के नियमानुसार हिन्दीतर अधिकारियों/कर्मचारियों को 20% का अतिरिक्त वेटेज दें।

6. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों द्वारा इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कराया जाना अपेक्षित है। राजभाषा विभाग के नियमानुसार भी एक वर्ष में कम से कम 04 कार्यशालाएँ [प्रति तिमाही एक] होनी अपेक्षित है।

7. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों द्वारा इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए कि 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान उनके कार्यालय में हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि अवश्य दर्ज़ की जाए।

8. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालय हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र से अवश्य सम्मानित करें।

9. हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े आदि पर होने वाला खर्च सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

10. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों द्वारा इस तिमाही के दौरान् राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित कि जाएगी।

11. यदि इस अवधि में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इस बैठक में भाग लेना होगा और प्राप्त कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्रवाई करनी होगी।

12. सभी अधीनस्थ डाक कार्यालयों को निदेश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में एक रिपोर्ट डाक विभाग के राजभाषा अनुभाग को माह अक्तूबर, 2020 में अनिवार्य रूप से भेज दें।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित कार्यालयों को निदेश दिये जाते है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन अवश्य करें।

सुनीता 27/09/2020

(सुनीता सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

प्रति

1. **सभी डाक सर्कलों के अध्यक्ष।**
2. **निदेशक, समस्त डाक प्रशिक्षण केंद्र।**
3. **निदेशक, डाक अकादमी।**
4. **मुख्य महा प्रबन्धक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली।**
5. **महाप्रबन्धक, सी ई पी टी, मैसूर को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को डाक विभाग कीं वैबसाइट पर अवश्य अपलोड करा दें।**
6. **गार्ड फ़ाइल।**